


उपरोक्त आवेदिका लिखने के पश्चात अप्रार्थी सरोगा 8, 9, 12, 13, 14 वीं और सै वकील श्री अमरीश शर्मा के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वापिस आता भ्रामण हेतु दिनांक 24/11/22 को पेश है।

  
 उप खण्ड अधिकारी  
 बस्ती (जिला जयपुर)

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. तारे/अन्य कर्म में बाध रहे के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/2/22 को पेश है।

14<sup>02</sup>/<sub>2022</sub>

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष द्वारा पेश अप्रार्थी वकालतनामा 8, 9, 12, 13, 14 की ओर से आवक फोटो वगैरह प्रथम अद किया जाता है। प्रार्थी एवं कोष अप्रार्थी में की वक्त हुई गई। दोबारा वकालतनामा पेश एवं पत्रावली में उपरोक्त रिकार्ड के अभाव पर प्रथम वत्र आदेश को सही स्वीकार किया जाकर अ उक्त पक्ष को वाकालतनामा विवादित आदेशित पर मौक की यथाशीघ्र सुनना

अपनी आधिकारिक बरखा.  
श्रीमती देवी बनाम रामलाल

अब विद्वत् रूप से

विशेष विवरण

तुम्हारे दायरे में बहुत सारे सिद्धा  
सामान हैं कि - यदि वे  
होने की तारीख को कक्षा  
अनुसार कारत के आलेखित  
में पृ कोडे गतिशील  
नहीं करें।

किसका टुकले - भाषा लेख  
में सुनाया गया।

पत्रावली फिलाल शुभ  
लेखक नमक से कहें।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बन्नी जिला - जयपुर